महत्वपूर्ण / समयबद्ध / व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित

प्रेषक,

अपर शिक्षा निदेशक
माध्यमिक शिक्षा
गढ़वाल मण्डल पौडी

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
गढ़वाल मण्डल पौडी।

पत्रांक / सेवा.अराज. / 2073-85 / 3क(2) / वार्षिक स्था0 / 2025–26 दिनांक 13 मई 2025

विषयः– **स्थानान्तरण सत्र 2025–26 में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स0अ0एल0टी0 के पदों में कार्यरत शिक्षकों के वार्षिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्रों को उपलब्ध कराये जाने, पात्रता सूची / रिक्ति की सूचना को अवलोकन करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 282747 / XXX(2)/2025-E-20917 / कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2 देहरादून दिनांक 17 मार्च 2025 के क्रम में निदेशालय के पत्रांक / सेवा–2 / 3(क) / 2(1) / वा0स्थाना0 / 160051 / 2024–25 दिनांक 21 मार्च 2025 के द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण सत्र 2025–26 में वार्षिक स्थानान्तरण किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसके क्रम में आपको पूर्व में ही समय–सारणी एवं रिक्तियों को अद्यतन किए जाने के निर्देश दिये गये है।

गढ़वाल मण्डलान्तर्गत सहायक अध्यापक (एल0टी0) के पदों पर कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक स्थानान्तरण (अनिवार्य स्थानान्तरण सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण) हेतु आवेदन पत्र निर्धारत प्रारूपों में अंकित करते हुए तथा उनसे सम्बन्धित अभिलेखों व आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में निम्नानुसार जांचोपरान्त आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाय–

1– आवेदन पत्रों के साथ स्थानान्तरण अधिनियम में उल्लिखित श्रेणीयों के अन्तर्गत सम्बन्धित शिक्षक के **गम्भीर बिमारी / विकलांगता / मानसिक रूप से विक्षिप्त / विकलांग पुत्र / पुत्री हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वरिष्ठ कार्मिक हेतु हाईस्कूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात पति / पत्नी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड सरकार की सेवा में कार्यरत पति–पत्नी हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र, विधवा, विधुर, परित्यक्ता, तलाकशुदा हेतु सक्षम प्राधिकारी का आदेश / प्रमाण पत्र** स्पष्ट पठनीय प्रति संलग्न की जाय।

2– आवेदन पत्रों के साथ संलग्न ई–पोर्टल की जांच सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सेवा पुस्तिका व कार्यालय अभिलेखों से मिलान कर स्पष्ट पठनीय प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जाय। ई–पोर्टल पर त्रुटि इंगित होने पर सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष के प्रति नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3– **एक से अधिक श्रेणियों में आवेदन करने वाले शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी हेतु अलग–अलग आवेदन पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा, एक ही आवेदन पत्र पर एक से अधिक श्रेणियों हेतु आवेदन करने पर सम्बन्धित शिक्षक का आवेदन पत्र कदापि अग्रसारित न किया जाय।**

4– आवेदन पत्रों को अपने स्तर से भली–भांति जांच कर लिया जाय। त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं अधूरे आवेदन पत्रों को कदापि अग्रसारित न किया जाय एवं त्रुटिपूर्ण, अस्पष्ट एवं अधूरे आवेदन पत्र होने की दशा में सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा शिक्षक को निर्देशित कर पूर्ण आवेदन पत्र ही अग्रसारित कराया जाय। इसके उपरान्त भी त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र उपलब्ध कराये जाने पर यदि कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी / प्रधानाचार्य स्वयं जिम्मेदार होगा।

5– स्थानान्तरण हेतु शिक्षकों के आवेदन पत्र बिना उचित माध्यम के अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को कदापि प्रेषित न किए जाय अन्यथा सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।
6– स्थानान्तरण हेतु सामान्य शाखा/महिला शाखा के शिक्षकों के आवेदन पत्र दिये गये निर्धारित प्रारूपों में ही अंकित किए जाय। सामान्य शाखा की 09 पत्रावलियां निर्धारित प्रारूप सहित व महिला शाखा की 09 पत्रावलियां निर्धारित प्रारूप सहित इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
7– विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित रिक्ति की सूचना में कोई भिन्नता हो तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रस्ताव सहित सूचना अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी के कार्यालय में वाहक के माध्यम से दिनांक 20.05.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8– पात्रता सूची में असंगत संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य/खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त कर दिनांक 20.05.2025 तक अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी के कार्यालय में वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9– एकल अभिभावक (विधवा/विधुर) एवं शहीदों/बलिदानियों की विधवाओं को अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप दुर्गम क्षेत्र में तैनाती से छूट प्रदान किये जाने हेतु सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र मान्य होगा।
10– विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित पात्रता सूची का अपने स्तर से भी अवलोकन/सत्यापन करना सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की विसंगति/त्रुटि होने पर इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रस्ताव सहित सूचना अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौडी के कार्यालय में वाहक के माध्यम से दिनांक 20.05.2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण हेतु शिक्षकों के आवदेन पत्रों को प्रेषित किए जाने से पूर्व उक्त बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर ली जाय, ततपश्चात ही शिक्षकों के आवेदन पत्र, ब्राडसीट एवं आवेदन विवरण प्रपत्र निर्धारित प्रारूपों में तैयार कर वाहक के माध्यम से स्थानान्तरण अधिनियम में निर्धारित समय सारणी के अनुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय
13/5/25
(कंचन देवराडी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौडी

पृ0सं0/सेवा0अराज0/ 2073-85 /3क(2)/वा0स्था0/2025–26 दिनांक उक्तवत।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. एम0आई0एस0 प्रभारी, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून ।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी)
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य (द्वारा सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी)
6. कार्यालय प्रति।

13/5/25
(कंचन देवराडी)
अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौडी